न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 109/2017

1. श्री प्रभु पुत्र घीसा
2. श्री नोरत पुत्र घीसा
   समस्त जातिगण कुम्हार निवासीगण मोहम्मदगढ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री कानालाल पुत्र श्रीकिशन
2. श्री ग्यारसीलाल पुत्र श्रीकिशन
3. श्री भागचंद पुत्र श्रीकिशन
4. श्री चोथू पुत्र रामकरण
5. श्री रामराज पुत्र चोथू
   समस्त जातिगण कुम्हार निवासीगण मोहम्मदगढ़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री निहालचंद जैन, प्रार्थी।

निर्णय दिनांकः— 28.01.2020

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वर्णित आराजी मौजा ग्राम मोहम्मदगढ़ तहसील सरवाड़ में स्थित है जिसक विवरण निम्न प्रकार से है।

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
171	319	0.26 है0	बा.3
	320	0.25 है0	बा.3
	326	0.46 है0	बा.3

यह कि उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी की आराजीयात है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम बतोर खातेदार काश्तकार के दर्ज है। यह कि वाद वर्णित आराजीयात पर एक मात्र कब्जा काश्त स्वामित्व आधिपत्य प्रार्थीगण का निरन्तर चला आ रहा है। अप्रार्थीगण का प्रार्थी की वाद वर्णित खातेदारी की आराजीयात से किसी प्रकार का वास्ता सरोकार हक अधिकार नहीं है। यह कि अप्रार्थीगण की नियत बद है तथा अप्रार्थीगण नाजायज व अनाधिकृत तरीके से नियम एवं कानून के विरूद्ध अपनी लाठी की ताकत पर प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात पर जबरन कब्जा करना चाहते है तथा प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करना चाहते है। इस हेतु अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। यह कि अप्रार्थीगण अपने नाजायज उद्देश्य में कातयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजीयात से बेदखल हो जायेगें जिससे प्रार्थीगण को अजहद क्षति होगी। यह कि प्रार्थी का प्राईमा फैसाई केस है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गएः—

- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम मोहम्मदगढ संवत् 2069—2088

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड (अजमेर)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस एकपक्षीय सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी में प्रार्थी अपने हिस्से के रिकॉर्डेड खातेदार है एवं अप्रार्थी प्रार्थीगण को कब्जेकाश्त से बेदखल करना चाहते है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाए।

प्रकरण में बहस के तथ्यों, प्रार्थना पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर गहन विधिक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी ग्राम मोहम्मदगढ से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित आराजी का अभिलिखित खातेदार है एवं अप्रार्थीगण का विवादित आराजी से कोई लेना देना नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है।

प्रार्थी अभिलिखित खातेदार है। अभिलिखित खातेदार का सेटल पेजशन माने जाने की अवधारणा है एवं कब्जे के बाबत अप्रार्थीगणों द्वारा ना ही तो कोई जवाब प्रस्तुत किया है और ना ही कोई दस्तावेज साक्ष्य हेतु पेश किए है। अतः प्रार्थी का सेटल पजेशन मानते हुए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

चूंकि प्रार्थी के पक्ष में पृथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान किया जाता है तो अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थी को ही संभावित है।

पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्य की संभावना को कम करने तथा पक्षकारान् के विधिक स्वत्व की रक्षार्थ प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगणों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी में प्रार्थी के कब्जेकाश्त में दखल ना करे तथा भूमि के मौके की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाए रखें।

पत्रावली बाद तामील तकमील व तरमीम नंबर से कम की जावे तथा निर्णित में गणना की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ (अजमेर)

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.02.12 14:28:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: